ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप–तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

मिसल नं0 10/2025 दिनांक मरजुआ : 21–10–2025 तारीख फैसला : 12–01–2026

उनवान मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम

श्री राकेश कुमार पुत्र श्री खीमी राम, निवासी गांव बान्दल, डा0 घाटू, उप–तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ··प्रार्थी ।

बनाम

आम जनता ··फरीकदोयम।

प्रार्थना पत्र.–जन्म व मृत्यु पंजीकरण जेर धारा 13 (3) पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री राकेश कुमार पुत्र श्री खीमी राम, निवासी गांव बान्दल, डा0 घाटू, उप–तहसील नित्थर, जिला कुल्लू ने एक आवेदन पत्र जिला रजिस्ट्रार जन्म व मृत्यु एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुल्लू, जिला कुल्लू के कार्यालय पत्र संख्या HFW-ST(B&D) Delay Birth and Death-KLU-2020-19005-06, Dated 09-10-2025, जो कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील नित्थर को सम्बोधित है, इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है तथा प्रार्थी ने शपथ पत्र में उल्लेख किया है कि उसकी माता की मृत्यु 01–06–2007 को गांव बान्दल में हुई थी। प्रार्थी अज्ञानता के कारण अपनी माता की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत गमोग में दर्ज नहीं करवा पाया। शपथ–पत्र व फार्म नं0 10 संलग्न है। अब प्रार्थी ने ग्राम पंचायत गमोग के मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में अपनी माता की मृत्यु तिथि 01–06–2007 दर्ज करने के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को ग्राम पंचायत गमोग के मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में सीमा देवी पत्नी खीमा राम की मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 12–01–2026 को प्रातः 10 बजे तक इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 11–12–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/–
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप–तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

————————